उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-3737/77-3-09-94भा./07टी.सी.
लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 122/77-4-08-94भा./07 टी.सी. दिनांक 19 मार्च, 2008 एवं संख्या 1104/77-4-08-94भा./07 टी.सी. दिनांक 07 जुलाई,2008 द्वारा यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 4246/77-4-07-94भा./07 टी.सी. दिनांक 27 दिसम्बर,2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द "गाजियाबाद से सहारनपुर निकट मोहन्द यमुना और हिण्डन नदी के तट तक" के स्थान पर शब्द "अपर गंगा नहर के दांये तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा(सीमा से 10किमी.पूर्व) तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे" रख दिये जायेंगे।

(वी.एन.गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3737(1)/77-3-09-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी-गाजियाबाद/मेरठ/मुजफ्फर नगर/सहारनपुर।
3- निदेशक,भूमि अध्याप्ति निदेशालय,राजस्व परिषद, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र.लखनऊ को उ.प्र. के असाधारण गजट दिनांक 24 नवम्बर,2009 के विधायी परिशिष्ट भाग-4(ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की मुद्रित 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Audhyogik Vikas Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause(3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publilcation of the following English translation of the notification no.3737/77-3-09-94 bha-07TC. , dated 24 November,2009.

Notification

No.3737/77-03-09-94 bha-07TC
Dated: Lucknow, November 24 ,2009

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P.Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 4246/LXXVII-4-07-94bha-07TC,dated December 27,2007, as amended by notifications no.122/LXXVII-4-08-94bha-07TC,dated March 19 ,2008 and no.1104/LXXVII-4-08-94bha-07TC,dated July 07 ,2008 :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the words from "Ghaziabad to Saharanpur near Mohand on the bank of river Yamuna and Hinden" the words " 08 lane access controlled Expressway on the right bank of upper Ganga Canal from Eastern Peripheral Expressway near Dehra to Uttar Pradesh-Uttarakhand border (10Km. before border) " shall be substituted.

By order,

(**V.N. Garg**)
Pramukh Sachiv.